21

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०:–2/अ0प्र0–1–272/2018   1237   /पटना, दिनांक :– 26-7-22

कार्य प्रमंडल, रजौली अंतर्गत PMGSY के तहत वर्ष 2018 में प्रकाशित निविदाओं में नवादा जिला से संबंधित 2 पुलों यथा पैकेज संख्या–BR-25R-661 एवं BR-25R-666 में निविदाकार मेसर्स ओम शक्ति कंस्ट्रक्शन (Bid ID-286672) को EPF निबंधन के बिना योग्य घोषित किये जाने के लिए तकनीकी बीड समिति के सदस्य यथा मो0 शाहिद आजम, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया सम्प्रति सेवानिवृत, मो0 अरशद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा एवं मो0 नवी अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत से विभागीय पत्रांक 335 अनु0 दिनांक 10.02.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. मो0 अरशद, तदेन कार्यपालक अभियंता एवं मो0 नवी अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा मो0 शाहिद आजम, तदेन अधीक्षण अभियंता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. मो0 अरशद, तदेन कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 07.01.2022 में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि संबंधित मामले में Technical Evaluation हेतु विहित प्रपत्र में सूचनाएँ अंकित की गयी थी। उक्त सूची के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी भी एक सदस्य के रूप में उपस्थित थे. जिनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि का जिक्र नहीं किया गया, जिससे कि निविदा समिति के सदस्यों के उक्त बात संज्ञान में नहीं आया। संबंधित प्रमंडल के लेखा पदाधिकारी भी वही थे, जो तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के भी थे। ऐसी परिस्थिति में प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उक्त निर्णय लिया गया था, जिसमें उनका कोई दोष नही है।

4. मो0 नवी अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 12.03.2021 में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि चेकलिस्ट संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। कार्य प्रमंडल, रजौली द्वारा चेक लिस्ट में संबंधित संवेदक के EPF के बारे में कोई विवरणी में अंकित नहीं है, जिसके चलते वित्तीय बीड के मुल्यांकन के समय उसपर ध्यान आकर्षित नहीं हो सका और भूल हो गई। अगर कार्य प्रमंडल, रजौली द्वारा चेकलिस्ट में EPF के स्थान पर Not Attached लिखा रहता है तो भूल होने से बचा सकता था। यह भूल जान बुझकर नहीं किया गया है।

5 मो0 अरशद, तदेन कार्यपालक अभियंता एवं मो0 नवी अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आरोप का मूल बिंदु निविदाकार ओम शक्ति कंस्ट्रक्शन को EPF निबंधन के बिना योग्य घोषित किये जाने से संबंधित है। उक्त अभियंताओं द्वारा निविदा निष्पादन हेतु उपलब्ध कराये गये चेक लिस्ट की भली–भॉति

जॉच में चूक परिलक्षित होती है जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही है, किन्तु उसमें कोई वित्तीय अनियमितता एवं क्षति का मामला नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद उक्त निविदा को रद्द कर दिया गया था तथा दोषी संवेदक मेसर्स ओम शक्ति कंस्ट्रक्शन के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गयी है। मामले में मुख्य दोषी प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी हैं जो चेक लिस्ट तैयार करते हैं। प्रमडलीय लेखा पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से अनुशंसा की गयी है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मो0 अरशद, तदेन कार्यपालक अभियंता एवं मो0 नवी अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त तीनों अभियंताओं को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में मो0 शाहिद आजम, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया सम्प्रति सेवानिवृत, मो0 अरशद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा एवं मो0 नवी अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

21/7/2022
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–272/2018 1237 /पटना, दिनांक :– 21.7.22

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, /आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/मो0 शाहिद आजम, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पताः–फ्लैट नं0–601 बी, वासीकुंज अपार्टमेंट, डाकघर–दानापुर, जिला–पटना, पिनकोड–801503/मो0 अरशद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/मो0 नवी अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पताः–फ्लैट नं0–35, हाईटेक अरीब अपार्टमेंट, न्यू पाटलिपुत्रा, थाना–पाटलिपुत्रा, जिला–पटना, पिनकोड–800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/2022
विशेष सचिव